आबकारी आरक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा–2022 के संबंध में आवश्यक सूचना

आबकारी आयुक्त, कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, के पत्र क्रमांक/1(ब)/आर/स्था./2022/841 दिनांक 21/12/2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी. 3–14/2019/1/3 दिनांक 19 दिसम्बर 2022 में राज्य शासन के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले नियुक्तियों हेतु अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षों की छूट प्रदान की गई है। तदानुसार वृद्धि की गई आयु सीमा में जो अभ्यर्थी आते हैं उन्हें आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए एवं समस्त अभ्यर्थियों के हितो को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है।

स.क्र.	विवरण	वर्तमान निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1.	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	24/12/2022	29/12/2022
2.	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	29/12/2022	31/12/2022

❖ परीक्षा की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

विज्ञापन क्र. 38 / 2022

संचालक

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

Madhya Pradesh Employees Selection Board(MPESB)
'चयन भवन' मेन रोड नं. – 1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल – 462011 FAX: +91-0755-2550498, website : www.peb.mp.gov.in

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में:

1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिये ।

1.4.2 किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

1.4.3 ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पद हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा मैं छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा आगामी जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म0प्र0 राज्य का स्थायी मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

1.4.4 नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन: करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी होना चाहिए।

1.4.5 अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

1.5 पद का वेतनमान:

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान
1	आबकारी आरक्षक	19500-62000

नोट :- (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय) दिये गये समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता तथा परिलब्धियाँ देय होगी। म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम-4/ दिनांक 13.4.2005 एवं क्रं एफ-9 /डी / 2003 नियम-4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

1.6 निर्धारित आयु सीमा: (संशोधित)

अभ्यर्थी की आयु आगामी जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. 3-8/2016/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2017 के संशोधित आदेश क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/ 3 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2019 अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार हैं:

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए		म.प्र. लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पद के लिए	
		न्यूनतम वर्षों में	अधिकतम वर्षों में	न्यूनतम वर्षों में	अधिकतम वर्षों में
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21	33	18	33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरुष / महिला आवेदक	21	38 (अधिकतम आयुसीमा में	18	38 (अधिकतम आयुसीमा में

	(आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) शासकीय /निगम/मण्डल /स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक		05 वर्ष की छूट)		05 वर्ष की छूट)

सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र. सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार-

1. प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी।
2. उक्त आदेश की कण्डिका 3 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

नोट:- कार्यालय, आबकारी आयुक्त म.प्र. के पत्र क्रमांक/1(ब)/आर/स्था/2022/841, कैम्प भोपाल, दिनांक 21.12.2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी.3-14/2019/1/3 भोपाल दिनांक 19 दिसंबर 2022 के पालनार्थ राज्य शासन के वर्दी धारी पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले नियुक्तियों हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षो से भर्ती परीक्षाऐ नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर-2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षो की छूट, भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान की गई है।

1.7 उच्चतर आयु सीमा में सामान्य छूट-(संशोधित)

निम्न मापदण्डों के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है:

1.7.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी अर्थात इस जाति वर्ग के अभ्यर्थी की आयु आगामी जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.7.2 मध्यप्रदेश राज्य शासन के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को भी आयु-सीमा में छूट के प्रयोजन के लिये शासकीय सेवक माना गया है। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी/कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

1.7.3 यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका आदि में कार्यरत संविदा शिक्षक, सहायक अध्यापक आदि जो स्थानीय निकाय के कर्मचारी है, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं है।

1.7.4 नगर सैनिक नान कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम दिनांक को इन पदों पर उनकी पूरी 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण होना चाहिए। अनुशासनहीनता दुराचरण अथवा अस्वस्थता अथवा भगोड़े होने के कारण पृथक किये गये नगर सैनिकों को इस संवर्ग के अन्तर्गत नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, अतः आयु सीमा में छूट की पात्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

1.7.5 छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी को उसकी आयु सीमा में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 07 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते की इसके परिणाम स्वरुप ऐसे अभ्यर्थी की आयु

अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात 36 वर्ष से अधिक न हो। छटनी किये गये सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं, जो मध्य प्रदेश शासन अथवा किन्हीं भी संघटक ईकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में निरन्तर कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो। अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा अस्वस्थता के आधार पर सेवामुक्त किये गये भूतपूर्व शासकीय कर्मियों को इस सेवा में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। अतः इन्हें आयु सीमा में छूट की पात्रता भी नहीं होगी।

1.7.6 उन अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं उसकी वर्तमान आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की पात्रता होगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरुप उनकी आयु अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । भूतपूर्व सैनिक की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों के संबंध में सैनिक की रक्षा सेवा में नियमानुसार पेंशन प्राप्त करता हो अथवा अशक्त होने पर चिकित्सा संगठन द्वारा अशक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को ही भूतपूर्व सैनिक माना गया है। दुराचरण अथवा अक्षमता के आधार पर सेना से निष्कासित किये गये व्यक्तियों को भूत पूर्व सैनिको के लाभ प्राप्त नहीं होंगे ।

नोट :- 1. भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में वे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के नवीनतम पत्र द्वारा परिभाषित किया गया है।

2. केन्द्र शासन अथवा अन्य राज्यों के सेवारत अथवा भूतपूर्व शासकीय सेवकों को आयु किसी ऐसी छूट की पात्रता नहीं है, जो इन नियमों में नहीं दी गई। वे भूतपूर्व सैनिक उनके लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण के लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे, जिन्होने किसी भी शासकीय नियोजन के लिये पूर्व में इसका लाभ प्राप्त कर लिया है। सी.आर.पी.एफ. बी.एस.एफ. आई.टी.बी.पी. आदि केन्द्र शासन के अर्द्ध सैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों को आयु में छूट की पात्रता नहीं है।

3. शासकीय सेवकों को उक्त छूट की पात्रता प्राप्त करने एवं चयन से हुई नियुक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिये अपने वर्तमान नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अवश्य ही प्राप्त करनी होगी और ऐसी लिखित अनुमति को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अंतिम वेतन पर्ची प्रस्तुत करनी होंगी। केवल वहीं शासकीय अभ्यर्थी आयु में छूट का लाभ ले पायेंगे, जो कि उस पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, जिसका वेतनमान उनके पूर्व पद में के मुकाबले अधिक है।

1.7.7 मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी, विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

नोट:- कार्यालय, आबकारी आयुक्त म.प्र. के पत्र क्रमांक/1(ब)/आर/स्था/2022/841, कैम्प भोपाल, दिनांक 21.12.2022 के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी.3-14/2019/1/3 भोपाल दिनांक 19 दिसंबर 2022 के पालनार्थ राज्य शासन के वर्दी धारी पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले नियुक्तियों हेतु कोविड-19 के कारण विगत तीन वर्षो से भर्ती परीक्षाऐ नियमित आयोजित नहीं की जा सकी है, अतः अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दिसंबर-2023 तक अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्षो की छूट, भरे जाने वाले पदों के संबंध में जारी प्रथम विज्ञापन में प्रदान की गई है।